प्ररूप–2

ग्राम :
ई–मेल :

फोन :
फैक्स :

जिला शिक्षा अधिकारी का कार्यालय

गाजियाबाद

संख्यांकः / 1568 / 12–13

तारीख 6/8/2012

प्रबन्धक,

ग्रीन फील्ड पब्लिक जू0 हाई0 स्कूल
गोविन्द पुरम गाजियाबाद

विषयः निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 के नियम 15 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण–पत्र।

महोदय / महोदया,

आपके तारीख......5–8–2011..............के आवेदन और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चात्‌वर्ती पत्राचार / निरीक्षण के प्रति निर्देश से, मैं......जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी गाजियाबाद..........................को तारीख .....1–7–2012........से तारीख.....30–6–2015... तक तीन वर्ष की अवधि के लिए कक्षा........6.............से कक्षा.......8..........तक के लिए अनंतिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ। 9–5–2012 (हिन्दी माध्यम)

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किए जाने के अध्यधीन है :–

1. मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 8 के पश्चात मान्यता / संबंधन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (उपाबंध 1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 (उपाबंध 2) के उपबंधों का पालन करेगा।
3. विद्यालय कक्षा 1 में (या यथास्थिति, नर्सरी कक्षा में), उस कक्षा में बालकों की संख्या के प्रतिशत तक आस–पड़ोस के कमजोर वर्गों और सुविधा– विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।
4. पैरा 3 से निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार प्रतिपूरित किया जाएगा। ऐसी प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।